प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छ:'

प्रश्न सं. [क्र. 688]

[7/3/2017]

परिशिष्ट–"अ"

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के एनसीसी कैडेटों को जल, थल, वायु सेना एवं घुड़सवारी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

किसी शैक्षणिक संस्था (महाविद्यालय/विद्यालय) में एनसीसी की सदस्यता लेने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करना होती हैं।

1.. एनसीसी के लिए सदस्यता लेने के इच्छुक संस्थाओं को निकटतम एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर औपचारिक रूप से आवेदन करना होता हैं। एनसीसी प्रारंभ किये जाने हेतु अपेंक्षित पूर्व शर्ते निम्नानुसार हैं–

– छात्रों की उपलब्धता।
– अंशकालीन एनसीसी अधिकारी नियुक्ति के लिए योग्य अध्यापक की उपलब्धता।
– परेड ग्राउण्ड एवं भण्डार गृह की उपलब्धता।
– गोलीबारी के लिए स्थान की उपलब्धता।
– निजी संस्थाओं हेतु वित्तीय भार उठाने की सक्षमता।
– यूनिट, ग्रुप मुख्यालय एवं संचालनालय स्तर पर आवेदन का परीक्षण।
– आवंटन हेतु संख्या उपलब्ध होने की स्थिति में महानिदेशालय एनसीसी द्वारा स्वीकृति प्राप्त की जाती हैं। संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित संस्था को प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध किया जाता हैं।
– संचालनालय प्रतिष्ठित संस्थाओं हेतु बिना बारी के स्वीकृति हेतु अनुशंसा कर सकता हैं।

परिशिष्ट–"ब"

एनसीसी को बढ़ावा देने के लिये एनसीसी की गतिविधियों में निरन्तर विस्तार किया जा रहा हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में एन.सी.सी. पाठ्यक्रम ऐच्छिक विषय के रूप में आरंभ किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं। " राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का माध्यमिक ओर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में सिलेबस का प्रारूप शासन को प्रेषित किया जा चुका हैं। प्रदेश में पांच एनसीसी अकादमी एवं तीन बोट हाउस के निर्माण की योजना शासन स्तर पर प्रकियाधीन हैं आगामी वित्तीय वर्ष में एनसीसी की एक नई यूनिट अनुपपुर जिले के कोतमा में आरंभ किये जाने की कार्यवाही जारी हैं।

एनसीसी को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार की ओर से निम्नानुसार नगद प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं–

विवरण	**प्रोत्साहन राशि रू.**
प्रथम सर्वश्रेष्ठ अंशकालीन एनसीसी अधिकारी (प्रत्येक ग्रुप से एक)	50,000/–
द्वितीय सर्वश्रेष्ठ अंशकालीन एनसीसी अधिकारी (प्रत्येक ग्रुप से एक)	30,000/–
प्रत्येक गुंप से सर्वश्रेष्ठ कैडेट	25,000/–
प्रत्येक गुंप से द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट	15,000/–
प्रत्येक यूनिट से एक सर्वश्रेष्ठ कैडेट	10,000/–

गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स को 10 प्रतिशत थल सेना शिविर/वायु सेना शिविर/ नौ सेना शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स को 07 प्रतिशत, एनसीसी "सी" प्रमाण–पत्र" धारक को 05 प्रतिशत एवं "बी प्रमाण–पत्र"धारक को 03 प्रतिशत कृपांश (अधिकतक कृपांश 15 प्रतिशत से ज्यादा नही) का प्रोत्साहन/सुविधाएँ दी जा रही हैं।